

न्यायालय—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेशपीठासीन अधिकारी: — केशव सिंहव्यवहार वाद 07.ए/2011संस्थापित दिनांक 11.08.2010

1. श्रीमती भागवतीदेवी पत्नि मेघ सिंह पुत्री
 औतार सिंह आयु—45साल निवासी ग्राम—
 पिपरेट, पोस्ट ऑफिस आगई, जिला धौलपुर
 राजस्थान

.....वादिया

बनाम

1. औतार सिंह पुत्र सुल्तान सिंह आयु—75
 साल ठाकुर निवासी ग्राम लोधे की पाली,
 तहसील गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
2. म0प्र0 शासन द्वारा— श्रीमान कलेक्टर
 महोदय जिला भिण्ड म0प्र0
3. श्रीमती पिकी पत्नि विजेन्द्र सिंह आयु—32
 साल
4. श्रीमती सीमा पत्नि गजेन्द्र सिंह आयु—29
 साल
5. श्रीमती हेमा पत्नि राजेश सिंह आयु—26
 साल
6. श्रीमती रेणू पत्नि लायक सिंह आयु—23
 साल
7. मोनू उर्फ मुनेन्द्र सिंह पुत्र जीतबहादुर सिंह
 आयु—22साल समस्त निवासी ग्राम लोधे की पाली
 परगना, गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

::— निर्णय —::(आज दिनांक 16/10/2014 को घोषित किया)

1. वादिया ने यह वाद ग्राम लोधे की पाली की कृषि भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा बंटवारा कराये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

3. वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि खसरा कमांक 21 रकवा 0.27, सर्वे कमांक 89 रकवा 0.39, सर्वे कमांक 596 रकवा 0.48, सर्वे कमांक 599 रकवा 1.18, सर्वे कमांक 621 रकवा 0.21, सर्वे कमांक 727 रकवा 0.69, कुल किता-6 कुल रकवा 3.22 ग्राम लोधे की पाली परगना गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0 है। यह भूमि आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित की जावेगी। प्रतिवादी क01 का औतारसिंह वादिया का पिता है और औतार सिंह को वादिया के अतिरिक्त कोई पुत्र व पुत्री नहीं है वादग्रस्त भूमि वादिया की पुश्तैनी भूमि होकर पैत्रिक सम्पत्ति है जिस पर वादिया का जन्मजात हक है वादिया अपनी ससुराल में रहती है विशेष उत्सव, व त्यौहारों पर फसल वोवनी व कटाई के समय गांव में आती जाती है और अपने पिता की सेवा ससुरा कर देखभाल करती है। वादिया का पिता औतार सिंह अपने बड़े भाई अजब सिंह ने बहला-फुसला लिया है और वादियों के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि को वादिया के पिता प्रतिवादी क01 से हड़पने के आशय से एक दिखावटी विक्रयपत्र बिना प्रतिफल लिये दिनांक 02/08/10 को करा लिया है। जबकि वादिया का विवादित भूमि में जन्मजात हक होने के कारण वादिया 1/2 भाग प्राप्त करने की अधिकारणी है तथा विवादित भूमि को प्रतिवादी क01 विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है इसलिये वादिया के पक्ष में इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादिया 1/2 भाग और वह राजस्व अभिलेखों में अपने नाम कराने की अधिकारणी है तथा वादिया के 1/2 भाग पर प्रतिवादी क01 के कब्जा काशत में बाधा पैदा न करें

4. प्रतिवादी क.1 और प्रतिवादी कमांक 03 लगायत 07 की ओर से दावे का पृथक-पृथक जबाब प्रस्तुत किया है जो संयुक्त रूप में संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि प्रतिवादी क01 की स्वअर्जित सम्पत्ति होकर प्रतिवादी रिकार्डेड भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी है और मौके पर काविज होकर खेती कर रहे है। प्रतिवादी क01 ने विवादित भूमि बलवंत पुत्र प्राणी निवासी लोधे की पाली से दिनांक 06/07/1964 एवं रघुनाथ पुत्र विजय सिंह से दिनांक 09/07/10 तथा रामचन्द्र, गंगा सिंह पुत्रगण तेज सिंह से दिनांक 14/12/81 को कय की है इस प्रकार उक्त विवादित भूमि को प्रतिवादी क01 ने स्वयं मेहनत मजदूरी कर के स्वयं पैदा की है इसलिये विवादित भूमि प्रतिवादी क01 की स्वअर्जित सम्पत्ति है इसलिये वादिया का इस भूमि में कोई जन्मजात हक नहीं है वादियों ने कभी भी उक्त भूमि की देखभाल नहीं की है और न ही किसी भी हैसियत से भूमि पर खेती की है वादियों अपनी ससुराल में निवास करती है इसलिये उसने प्रतिवादी क01 ने कभी सेवा ससुरा नहीं की है विवादित भूमि प्रतिवादी क01 की स्वअर्जित सम्पत्ति है इसलिये प्रतिवादी क01 को पूर्ण वैधानिक अधिकार है कि वह अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति की अपनी इच्छानुसार व्यवस्था करे उसे पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी क01 को अपनी वैधानिक

आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसने भूमि सर्वे कमांक 89 रकवा 0.39, सर्वे कमांक 596 रकवा 0.48, सर्वे कमांक 737 रकवा 0.69, 07 बीघा 16 विस्वा का विक्रयपत्र दिनांक 02/08/10 को 12,27,800/-रूपये में विधिवत विक्रयपत्र निष्पादित कर दिया है तथा शेष बची अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का वसीयतनामा जीतबहादुर पुत्र अजब सिंह के हक में निष्पादित कर दिया है वादियों दिनांक 09/07/10 अथवा अन्य किसी दिनांक को गांव में नहीं आया और न ही विवादित भूमि के संबंध में कोई हिस्सा बटवारे वाली बात हुई है वादियों ने दावे की आड में प्रतिवादी की सम्पत्ति को हड़पने के उद्देश्य से काल्पनिक तथ्यों पर यह दावा प्रस्तुत किया है।

5. प्रतिवादीगण का आगे वादपत्र में यह भी कहना है कि वादिया एवं प्रतिवादी क01 का संयुक्त हिन्दू परिवार नहीं है क्योंकि वादिया लगभग 48 साल पूर्व से मेघ सिंह पुत्र बलराम के साथ अपनी ससुराल में निवास कर रही है प्रतिवादी क01 ने अपने परिवार के साथ वादियों को लगभग 03 लाख रुपये भात में दिये थे तथा उसने वादियों के दोनों पुत्रों के विवाह में लगभग एक-एक लाख रुपये भात दिये हैं वादिया एवं प्रतिवादी का संयुक्त हिन्दू परिवार नहीं है अलग-अलग परिवार है तथा अलग-अलग निवास करते हैं इसलिये वादिया किसी प्रकार की सहायता पाने की पात्र नहीं है। अतः वादिया का वाद निरस्त किया जावे।

6. प्रकरण में वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गई जिनके समक्ष मेरे निष्कर्ष अंकित हैं:-

<u>वाद प्रश्न</u>	<u>निष्कर्ष</u>
1. क्या ग्राम लोधे की पाली परगना गोहद की कृषि भूमि सर्वे कमांक 21,89,596,599,621,727 कुल सर्वे क.6 रकवा 3.22 की भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक भूमि होकर वादियों का जन्मजात हक है?	अप्रमाणित
2. क्या वादिया विवादित भूमि में से <u>1/2</u> भाग प्राप्त कर विधिवत बटवारे में भूमि प्राप्त करने की अधिकारणी है?	नहीं
3. क्या प्रतिवादी क01 द्वारा प्रतिवादी क03 लगायत 07 के हित में विवादित भूमि का रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बिना प्रतिफल प्राप्त किये सम्पादित किया है?	अप्रमाणित
4. क्या वादिया द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन नहीं किया है?	प्रमाणित
5. सहायता एवं वाद व्यय?	निर्णय की कंडिका 22 के अनुसार

सकारण निष्कर्ष

7. प्रकरण में वादिया की ओर से अपने पक्ष समर्थन में श्रीमती भागवतीदेवी वा0सा01, रामवीर सिंह सिकरवार वा0सा02, विजेन्द्र सिंह वा0सा03, को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है जबकि प्रतिवादीगण की ओर से औतार सिंह प्र0सा01, जीतबहादुर सिंह प्र0सा02, मुनेन्द्र सिंह प्र0सा03, को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये हैं।

वादप्रश्न कमांक 1 निष्कर्ष के आधार

8. विचारणीय वाद विषय को प्रमाणित करने का भार वादियों पर है जिसके संबंध में भागवतीदेवी वा0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि भूमि सर्वे क.21 रकवा 0.27, सर्वे क.89 रकवा 0.39, सर्वे कमांक 598 रकवा 0.48, सर्वे कमांक 599 रकवा 1.18, सर्वे कमांक 621 रकवा 0.21, सर्वे कमांक 727 रकवा 0.69 कुल सर्वे नं.6 कुल रकवा 3.22 ग्राम लोधे की पाली परगना गोहद में स्थित है। जिसमें 06 खेत है यह भूमि विवादित भूमि है वादियों का प्रतिवादी क01 औतार सिंह पिता है वादिया के अलावा औतार सिंह को कोई पुत्र पुत्री नहीं है। वादग्रस्त भूमि उसके पिता औतार सिंह को पूर्वज से प्राप्त हुई है। यह भूमि पैत्रिक है जिसमें उसका जन्मजात हक है वह अपनी ससुराल में रहती है। विशेष उत्सव, त्यौहार पर व फसल, बुवाई व कटाई के समय अपने पति के साथ अपने गाँव लोधे की पाली में आती है और अपने पिता औतारसिंह की सेवा, ससुरा व खेती का काम करती है। उसके पिता के बड़े भाई अजब सिंह ने उसके पिता के पोट लिया है और उसके स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि को हड़पने के आशय से अपने पुत्रों के नाम करना चाहता है इस बात की जानकारी वादिया को गाँव में आने पर दिनांक 09/07/10 को हुई है थी तब वादिया ने अपने पिता प्रतिवादी क01 औतार सिंह को अपने स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त वादग्रस्त भूमि में से अपने हिस्सा 1/2 व अपने नाम का बंटवारा करने को कहा तो उसके पिता प्रतिवादी क01 चुप रह गये जिससे जाहिर हुआ कि उसके पिता 1/2 भाग भूमि देना नहीं चाहते हैं इस साक्षी के कथनों का समर्थन रामवीर सिंह सिकरवार वा0सा02 के द्वारा भी किया गया है।

9. रामवीर सिंह सिकरवार वा0सा02 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि भागवतीदेवी रिश्तेदार में बहन लगती है वह प्रतिवादी औतार सिंह की एक मात्र पुत्री है लोधे की पाली में 3.22 बीघा भूमि है जिसका खसरा नं.6 है इस भूमि में वादिया भागवती देवी व उसके पिता औतार सिंह का आधा-आधा हिस्सा है यह भूमि औतार सिंह को पूर्वज से प्राप्त हुई है भागवतीदेवी की पुश्तैनी पैत्रिक भूमि है इसलिये भागवतीदेवी का उक्त भूमि में जन्मजात हक है। वह खेती की बुवाई व कटाई के समय आती जाती है और त्यौहारों के अवसर पर घर पर रह जाती है।

10. ब्रजेन्द्र सिंह वा0सा03 के द्वारा भी शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि लोधे की पाली से लगा हुआ मौजा चंदोखर व जसरथपुरा है उसकी चंदोखर व जसरथपुरा में कृषि भूमि है । वह चंदोखर व जसरथपुरा में आता जाता है उसने भागवतीदेवी की दावा वाली भूमि देखी है जो करीब 16 बीघा की है । यह भूमि औतार सिंह को उसके पूर्वज से प्राप्त हुई है इस जमीन में औतार सिंह की एक मात्र पुत्री भागवतीदेवी का जन्म से हक व हिस्सा है ।

11. वादिया ने अपने वादपत्र के समर्थन में धारा 80 सी.पी.सी.का नोटिस प्र0पी01,ग्राम लोधे की पाली की किश्तबंदी खतौनी सन 2009-10 की प्र0पी02,व किश्तबंदी खतौनी संवत 2028 का प्र0पी03 का प्रस्तुत की है । किश्तबंदी खतौनी संवत 2066 का अवलोकन करें तो उसके अवलोकन से दर्शित होता है कि औतार सिंह के नाम कुल 06 सर्वे नम्बर है जिसका कुल रकवा 3,22 है यह भूमि राजस्व अभिलेखों में औतार सिंह के नाम पर दर्ज है । बी-1 किश्तबंदी खतौरी प्र0पी03 का अवलोकन करे तो यह दर्शित होता है कि सुल्तान सिंह जो कि प्रतिवादी औतारसिंह के पिता है के नाम 29 बीघा राजस्व अभिलेखों में संवत 2028 में दर्ज थी जिसके संबंध में औतार सिंह प्र0पी01 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-7 में यह स्वीकार किया है कि यह भूमि उसके पिता के नाम पर थी लेकिन उसे यह भूमि प्राप्त नहीं हुई है यह भूमि उसके तीनो भाईयों को प्राप्त हुई थी वह पहले से अलग रहते थे इसलिये उसे यह भूमि प्राप्त नहीं हुई ।

12. औतार सिंह प्र0सा01 ने वादविषय के संबंधमें शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि विवादित भूमि उसकी स्वअर्जित होकर उसकी रिकार्डेड भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी है और मौके पर काविज होकर खेती कर रहा है । भागवतीदेवी उसकी पुत्री है उसने अपनी पुत्री का विवाह लगभग 40,41 साल पूर्व कर दिया था तब से वह अपनी ससुराल में निवास करती है लोधे की पाली में कभी नहीं रही है उपरोक्त विवादित भूमि उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति है जो उसने बलवंत सिंह, रघुनाथ,रामचन्द्र,गंगासिंह,से खरीदी थी इसलिये उपरोक्त विवादित भूमि उसका स्वअर्जित सम्पत्ति है उसने अपनी विवादित सम्पत्ति का पूर्ण प्रतिफल लेकर प्रतिवादी क03 लगायत 07 के हक में वयनामा कर दिया है तथा वयनामा दिनांक से प्रतिवादी क03 लगायत 7 काविज होकर खेती कर रहे है तथा शेष 08 बीघा भूमि का उसने अपनी इच्छानुसार वसीयतनामा जीतबहादुर सिंह के हक में कर दिया है इसलिये वादियों का इस भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है ना ही बटवारा कराने की अधिकारणी है । इस साक्षी के कथनों का समर्थन जीतबहादुर प्र0सा02,मुनेन्द्र सिंह प्र0सा03, के द्वारा भी किया गया है ।

13. प्रतिवादी ने अपने पक्ष समर्थन में लिखतम विक्रयपत्र

रामचन्द्र, व गंगासिंह के द्वारा औतारसिंह के हक में किया है दिनांक 14/12/1981 को प्र0डी01 व लिखतम विक्रय पत्र बलवंत पुत्र प्रागी केद्वारा किया गया था जो प्र0डी02 व लिखतम विक्रयपत्र रघुनाथ पुत्र विजय सिंह से औतार सिंह के हक में किया गया जो प्र0डी03, व श्रीमती पिकी, श्रीमती सीमा, श्रीमती हेमा, श्रीमती रेणू, मोनू उर्फ मुनेन्द्र के हक में किया गया विक्रयपत्र दिनांक 02/08/10 का प्र0पी04, व जीत बहादुर के हक में लिखा गया वसीयतनामा दिनांक 02/08/10 का प्र0डी05 का प्रस्तुत किया है ।

14. प्रकरण में प्रस्तुत प्र0डी01 के विक्रयपत्र का अवलोकन से दर्शित होता है कि यह भूमि औतारसिंह भी रामचन्द्र, गंगासिंह, से दिनांक 14/12/1981 को 7500/-रुपये में कय की है । प्र0डी02 के दस्तावेजों का अवलोकन करें तो उसके अवलोकन से दर्शित होता है कि बलवंत सिंह के द्वारा औतार सिंह के हक में दिनांक 06/07/1964 को विक्रयपत्र किया है । प्र0डी03 के विक्रयपत्र के अवलोकन से दर्शित होता है कि रघुनाथ के द्वारा औतार सिंह के हक में 2500/-रुपये में दिनांक 09/06/67 को विक्रयपत्र किया है उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि औतार सिंह ने प्र0डी01,2,3 की भूमि स्वयं कय की है यह भूमि उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति है । प्रकरण में वादिया की ओर से यह तर्क दिया गया है कि औतारसिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज 16 बीघा की कृषि भूमि उसकी पैत्रिक सम्पत्ति है जबकि प्र0डी01,2,3 के दस्तावेजों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि भूमि औतार सिंह प्रतिवादी क01 द्वारा स्वयं कय की है और उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति है भागवतीदेवी वा0सा01 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-7 में यह स्वीकार किया है कि उसके बाबा के नाम ग्राम लोधे की पाली में कोई जमीन नहीं थी और ना ही उन्होंने कोई जमीन खरीदी थी जहां तक अगर पैत्रिक भूमि का भी प्रश्न है तो औतार सिंह के पिता के नाम 29 बीघा कृषि भूमि है । अगर सुल्तानसिंह के चारों पुत्रों को यह भूमि वितरण की जावे तो औतारसिंह को लगभग 07 बीघा भूमि प्राप्त होती है । जबकि यही विवादका मुद्दा 16 बीघा कृषि भूमि का है इसलिये यह पैत्रिक भूमि नहीं हो सकती ।

15. प्रकरण में भागवतीदेवी वा0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि वह अपने पिता के गांव लोधे की पाली में आता जाता है और अपने पिता प्रतिवादी क01 औतार सिंह की सेवा ससुरा व देखभाल करता है इसके विपरीत प्रतिवादी औतार सिंह ने इस तथ्य से इंकार किया है कि उसकी बेटी भागवतीदेवी ने उसकी कभी देखभाल व सेवा ससुरा नहीं की है तथा प्रतिपरीक्षण की कंडिका-8 में यह भी स्वीकार किया है कि उसकी शादी करीब 43 वर्ष पूर्व हो चुकी है और तभी से वह अपनी ससुराल में रह रही है । उसकी जमीन पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है इस तरह जब वादिया अपनी ससुराल में निवास करता है और प्रतिवादी ग्राम लोधे की पाली में निवास करती है ऐसी स्थिति में वादिया एवं

प्रतिवादी का संयुक्त हिन्दू परिवार नहीं कहा जा सकता। दोनो ही परिवार पृथक-पृथक परिवार है और दोनो ही पृथक-पृथक निवास करते है ।

16. प्रकरण में जहां तक पैत्रिक भूमि का प्रश्न है प्र0पी03,के दस्तावेजों के अवलोकन से दर्शित होता हैकि प्रतिवादी औतारसिंह के पिता सुल्तानसिंह के नाम ग्राम लोधे की पाली में 29 बीघा भूमि थी औतार सिंह 04 भाई थे अलग-अलग बराबर-बराबर बटवारा किया जावे तो औतार सिंह का उसके हिस्से में लगभग साढ़े 07 बीघा कृषि भूमि प्राप्त होती है जबकि यही विवादित भूमि 16 बीघा है प्र0डी01,2,3 के अवलोकन से दर्शित होता हैकि उक्त भूमि औतारसिंह ने स्वयं कय की है इसलिये विवादित सम्पत्ति भूमि पैत्रिक भूमि नहीं है। यह भूमि औतारसिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति है । यहां वादी एवं प्रतिवादी का भी संयुक्त हिन्दू परिवार होना प्रमाणित नहीं है और स्वअर्जित सम्पत्ति होने के कारण वादिया का उक्त कृषि भूमि में कोई जन्मजात हक प्राप्त नहीं होता है। अतःवादियाँ यह प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रही है कुल सर्वे क06 के कुल रकवा 3.22,की कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक कृषि भूमि होकर वादिया की जन्मजात है। अतः विचारणीय वाद विषय का निराकरण वादिया के विरुद्ध नकारात्मक रूप से किया जा रहा है।

वादप्रश्न कमांक 2 निष्कर्ष के आधार

17. विचारणीय वाद विषय को प्रमाणित करने का भार वादिया पर है जिसके संबंध में वादियाँ ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया हैकि विवादित भूमि पैत्रिक कृषि भूमि होने के कारण व [1/2](#) भाग पर बराबर बटवारा कराने का अधिकारणी है। जिसके संबंध में प्रतिवादी औतार सिंह प्र0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया हैकि विवादित भूमि स्वअर्जित सम्पत्ति है जिस पर वादियाँ का कोई हक नहीं है और ना ही बटवारा कराने की अधिकारणी है। स्वअर्जित सम्पत्ति होने के कारण उसे हर किस्मी व्यवस्था कराने का पूर्ण अधिकार है उपर वर्णित निर्णय की कंडिका में यह प्रमाणित हो चुका हैकि विवादित भूमि पैत्रिक भूमि नहीं है तथा वादियाँ एवं प्रतिवादी का संयुक्त हिन्दू परिवार भी नहीं है । विवादित भूमि स्वअर्जित सम्पत्ति है ऐसी स्थिति में वादियाँ विवादित भूमि में से [1/2](#) भाग का बटवारा कराने का अधिकारणी नहीं है। अतः विचारणीय वाद विषय का निराकरण वादियाँ के विरुद्ध नकारात्मक रूप से किया जा रहा है।

वादप्रश्न कमांक 3 निष्कर्ष के आधार

18. विचारणीय वाद विषय को प्रमाणित करने का भार वादियाँ पर है जिसके संबंध में भागवती देवी वा0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य की कंडिका-4 में यह कथन दिया हैकि दिनांक 2/08/2010 को प्रतिवादी क03लगायत07 को श्रीमती पिकी,पत्नि बजेन्द्र सिंह,श्रीमती सीमा पत्नि

गजेन्द्र सिंह, श्रीमती हेमा पत्नि राजेश सिंह, श्रीमती रेणु पत्नि लायक सिंह, मोनू उर्फ मुनेन्द्र सिंह पुत्र जीतबहादुर निवासी ग्राम लोधे की पाली के हक में विक्रयपत्र बिना प्रतिफल लिये दिखावटी विक्रयपत्र सम्पादित कर दिया है जिससे केतागण को कोई स्वत्व एवं स्वामित्व व हक एवं कब्जा प्राप्त नहीं होता है। इसके विपरीत प्रतिवादी औतार सिंह प्र0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि उसने पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर प्रतिवादी क03 लगायत 07 के हक में भूमि का विक्रयपत्र कर दिया है तब से प्रतिवादी क03 लगायत 07 काविज होकर खेती कर रहे हैं। जीतबहादुर प्र0सा02 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि उसके चाचा औतार सिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति थी जिसे उसने प्रतिवादी क03 लगायत 07 के हक में विक्रय कर दिया है।

19. मुनेन्द्र सिंह प्र0सा03, ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि औतार सिंह जो उसके बाबा लगते हैं उन्होंने उपरोक्त विवादित भूमि में से लगभग 08 बीघा की भूमि उसे तथा पिकी श्रीमती सीमादेवी, श्रीमती हेमा, श्रीमती रेणू के हक में विक्रय कर दिया है तब से मौके पर काविज होकर वह खेती करते आ रहे हैं। शेष बची भूमि की वसीयत उसके पिता जीत बहादुर के हक में कर दिया गया व तथा विवादित भूमि पर उनका कब्जा है।

20. प्रकरण में जहां तक कब्जा का प्रश्न है भागवतीदेवी वा0सा01 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-9 में यह स्वीकार किया है कि विवादित जमीन पर औतारसिंह एवं पिकी, बगैरा खेती करते हैं जहां तक बिना प्रतिफल प्राप्त किये भूमि का रजिस्टर्ड विक्रयपत्र का प्रश्न है औतारसिंह द्वारा भूमि का विक्रयपत्र किया गया है और औतार सिंह का यह कहना है कि उसने पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर लिया है जिसका कोई खण्डन नहीं हुआ है जहां तक प्रतिफल प्राप्त करने का प्रश्न है विवादित भूमि औतारसिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति भूमि होना प्रमाणित हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपनी भूमि की व्यवस्था करने का प्रतिवादी औतार सिंह को पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी क01 द्वारा बिना प्रतिफल प्राप्त किये प्रतिवादी क03 लगायत 07 के हक में विवादित भूमि का रजिस्टर्ड विक्रयपत्र किया है। अतः विचारणीय वाद विषय का निराकरण वादिया के विरुद्ध नकारात्मक रूप से किया जा रहा है।

वादप्रश्न कमांक 4 निष्कर्ष के आधार

21. विचारणीय वाद विषय विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जिसके संबंध में वादियाँ ने अपने वादपत्र की कंडिका-9 में यह उल्लेख किया है कि वादियाँ ने स्थाई निषेधाज्ञा एवं स्वत्व घोषणा हेतु निश्चित न्यायशुल्क अदा किया गया है। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से यह आपत्ति ली है कि विवादित भूमि का बाजारू रेट के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा

उक्त वाद मूल्य पर न्यायशुल्क चस्पा किया जाना चाहिये था चूंकि वादिया के द्वारा यह वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है जिस के लिये उसकी ओर से निश्चित न्यायशुल्क अदा किया गया है जो पर्याप्त व पूर्ण है। अतः विचारणीय वाद विषय का निराकरण वादिया के पक्ष में सकारात्मक रूप से किया जाता है।

वादप्रश्न कमांक 5 सहायता एवं वाद व्यय

22. प्रकरण में विचारण के दौरान की गई विवेचना के आधार पर वादिया अपना वाद प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रही है। अतः वाद निरस्त किया जाता है। वादिया किसी प्रकार की सहायता पाने की पात्र नहीं पायी गयी। वाद का व्यय वादिया बहन करेगी। अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने की दशा में तालिका अनुसार जो भी न्यून हो देय हो। तदनुसार जयपत्र की रचना की जावे

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्तासही
व्यवस्थावर्ग-एक गोहद
जिला भिण्ड

हस्तासही
व्यवस्थावर्ग-एक गोहद
जिला भिण्ड